चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 31.07.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की

(2). आज दिनाँक 31.07.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्रीमती रीता सिंह के मार्गदर्शन में थाना पहाड़ी पुलिस ने शराब के नशे में थाना परिसर में घुसकर अभद्रता करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 30.07.2024 को धर्मेन्द्र सिंह पुत्र मुलायम सिंह निवासी अगरहुण्डा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट शराब के नशे में थाना पहाड़ी परिसर में घुसकर अभद्रता की गयी थी। घटना के सम्बन्ध में थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 141/2024 धारा 121(2),132,115(2),352,324(3) बीएनएस बनाम धर्मेन्द्र सिंह उपरोक्त पंजीकृत किया गया। वरि0उ0नि0 श्री मनीष कुमार तथा उनके टीम द्वारा अभियुक्त धर्मेन्द्र सिंह उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीमः-</u>

1.वरि0उ0नि0 श्री मनीष कुमार थाना पहाड़ी

2.आरक्षी विनोद कुमार

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदिका श्रीमती रचना द्विवेदी पुत्री देशराज द्विवेदी निवासी चौर मजरा ऊंचाडीह थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट ने पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया कि उनके पति श्री मयंक कुमार पुत्र श्री दिनेश कुमार मिश्रा निवासी चमरौंहा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट एवं ससुराल पक्ष द्वारा गाली गलौज,मारपीट व लड़ाई झगड़ा कर प्रताड़ित करते है एवं दहेज की मांग करते हैं। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। परिवार परामर्श केन्द्र प्रभारी उ0नि0 श्रीमती गुड्डी देवी, महिला आरक्षी शिवांगी श्रीवास्तव द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में मारपीट,गाली गलौज व लड़ाई झगड़ा न करने तथा परिवारिक कर्तव्यों का पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़े को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

<u>समझौता कराने वाली टीमः-</u>

1.प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र उ0नि0 श्रीमती गुड्डी देवी

2.महिला आरक्षी शिवांगी श्रीवास्तव

3.महिला आरक्षी मंजूलता पाल

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदिका श्रीमती पूजा पुत्री भागवत प्रसाद निवासी सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट ने पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया कि उनके पति श्री विकाश गौतम पुत्र श्री रामखेलावन निवासी सोन बरसा थाना धारकुण्डी जिला सतना म0प्र0 एवं ससुराल पक्ष द्वारा गाली गलौज,मारपीट व लड़ाई झगड़ा कर प्रताड़ित करते है एवं दहेज की मांग करते हैं । पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। परिवार परामर्श केन्द्र प्रभारी उ0नि0 श्रीमती गुड्डी देवी, महिला आरक्षी शिवांगी श्रीवास्तव, महिला आरक्षी मंजूलता पाल द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया । दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में मारपीट,गाली गलौज व लड़ाई झगड़ा न करने तथा परिवारिक कर्तव्यों का पालन करने की बात कही गयी । आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़े को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1.प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र उ0नि0 श्रीमती गुड्डी देवी

2.महिला आरक्षी शिवांगी श्रीवास्तव

3.महिला आरक्षी मंजूलता पाल

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेंद्र प्रताप सिंह द्वारा भोली-भाली जनता में भय आतंक फैलाकर गुंडागर्दी करने वाले अभियुक्त 1.पप्पू उर्फ महेश पुत्र लालू प्रसाद 2.शिवप्रसाद पुत्र कुन्ना 3.लालू पुत्र कुन्ना 4.पुच्ची उर्फ शिवचरण पुत्र लल्लू प्रसाद 5.रामराज पुत्र कुन्ना 6.रस्सी उर्फ धनराज पुत्र तीरथदीन उर्फ पप्पू 7.पुत्तू उर्फ विश्वनाथ पुत्र राम सिंह 8.विष्णु पुत्र राम सिंह 9.देव प्रकाश पुत्र जगन्नाथ 10.राजेंद्र यादव पुत्र वेद प्रकाश 11.पप्पू उर्फ तीरथदीन पुत्र जगन्नाथ निवासीगण नारायणपुर चंद्रगहना थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 129 बीएनएसएस की कार्यवाही की गयी।

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री राकेश मौर्य एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू मॉनिटरिंग सेल प्रभारी, निरीक्षक श्री शिवप्रकाश यादव तथा उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चित्रकूट श्री अनुराग कुरील द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना बरगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 47ए/2012 धारा 147,148,323,149,504,506,427,324 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1.लुग्गी पुत्र अवधनारायण 2.झल्लर पुत्र अलखनारायण 3.बबलू पुत्र अलखनारायण 4.सुरेश शास्त्री पुत्र द्वारिका प्रसाद 5.राजा पुत्र धर्मनारायण

निवासीगण कस्बा व थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को 02-02 वर्ष का कारावास व 11-11 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 19.06.2012 को वादी श्री छोटे उर्फ शिवकुमार सोनी पुत्र आनन्दी सोनी निवासी कस्बा व थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट द्वारा थाना बरगढ़ मे सूचना दी थी कि अभियुक्त लुग्गी,झल्लर,बबलू,सुरेश,राजा उपरोक्त ने एकराय होकर उसके तथा उसके परिवरीजनों के साथ मारपीट की गयी । इस सूचना पर थाना बरगढ़ में मु0अ0सं0 47ए/2012 धारा 147,148,323,149,504,506,427,324 भादवि0 बनाम उपरोक्त अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया था । मुकदमें की विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री अभिमन्यू यादव द्वारा की गयी थी, विवेचक द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध दिनाँक 20.01.2013 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

(8). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री राकेश मौर्य एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू मॉनिटरिंग सेल प्रभारी, निरीक्षक श्री शिवप्रकाश यादव तथा उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चित्रकूट श्री अनुराग कुरील द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना बरगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 47/2012 धारा 147,148,326,504,506 भादवि0 व 07 क्रि0ला0 अवे0 एक्ट के आरोपी अभियुक्त 1.लाला उर्फ शिवप्रसाद सोनी पुत्र आनन्दी सोनी 2.छोटे उर्फ शिकुमार सोनी पुत्र आनन्दी सोनी उर्फ आनन्द प्रसाद 3.आनन्दी सोनी उर्फ आनन्द प्रसाद पुत्र राकेश सोनी 4.रजनीश सोनी पुत्र महादेव उर्फ महावीर सोनी निवासीगण कस्बा व थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को 05-05 वर्ष का कारावास व 16500/-16500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 19.06.2012 को वादी श्री अवधनारायण शुक्ला निवासी कस्बा व थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट द्वारा थाना बरगढ़ मे सूचना दी थी कि अभियुक्त लाला उर्फ शिवप्रसाद,छोटे उर्फ शिवकुमार, आनन्दी सोनी उर्फ आनन्द,रजनीश सोनी उपरोक्त ने एकराय होकर उनके तथा उनके परिवरीजनों के साथ मारपीट की गयी । इस सूचना पर थाना बरगढ़ में मु0अ0सं0 47/2012 धारा 147,148,326,504,506 भादवि0 बनाम उपरोक्त अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया था । मुकदमें की विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री राम मनोहर सिंह द्वारा की गयी थी, विवेचना से मुकदमा उपरोक्त में धारा 07 क्रि0ला0 अवे0 एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी तथा विवेचक द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध दिनाँक 12.10.2012 व 16.10.2012 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

(9). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी

निरीक्षक पहाड़ी श्रीमती रीता सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अबरार व मॉनिटरिंग सेल प्रभारी, निरीक्षक श्री शिवप्रकाश यादव तथा उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री पियूष कुमार द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज (सी0डी0) श्री सूर्यकान्त धर दुबे द्वारा थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 588/2008 धारा 323,504,506,427 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त कामता प्रसाद पुत्र विशाली निवासी नांदी थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को डेढ़ माह का कारावास व अभियुक्ता नौवा पत्नी कामता प्रसाद निवासी उपरोक्त को न्यायालय उठने तक की सजा तथा 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।